संख्या-957/2018/3003/22-2-2017-17(108)/2016

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 दिसम्बर, 2018***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रहम सिंह उर्फ बरम सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह निवासी जनपद-बिजनौर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-41385/प्रोबे0-5-दयायाचिका/365 दिनांक 16-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी ब्रहम सिंह उर्फ बरम सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह, जो निवासी-ग्राम-पांडली मांडू, थाना- धामपुर, जनपद- बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा मुकदमें में हार जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 25.08.1998 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू से गला काटकर 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-96/99 भा0द0वि0 की धारा-302/34, 211 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01, बिजनौर के आदेश दिनांक 16.10.2008 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.11.2009 द्वारा मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 07 वर्ष 10 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष 10 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी के अपराध करने में अशक्त न होने तथा बंदी के पुन: अपराध करने की संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी ब्रहम सिंह उर्फ बरम सिंह (बन्दी संख्या-16027) पुत्र श्री हरपाल सिंह निवासी जनपद-बिजनौर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-957/2018/3003(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in